न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/209 **दायरा दिनांक : 28.11.2022**

उनवान

ग्राम पंचायत इकलेरा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत इकलेरा, तहसील बारां, जिला बारां, पिन कोड नं. 325205

.... अपीलांट

बनाम

1– विरेन्द्र आत्मज श्री सीताराम जी यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

2– विनोद आत्मज श्री सीताराम जी यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री तेजमल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 31/2020 निर्णय दिनांक 31.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां की आराजी खसरा नं. 2 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नं. 278 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 285 रकबा 0.96 हेक्टर कुल 3 किता कुल रकबा 2.55 हेक्टर अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2022 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि हुक्म जेर अपील कानून, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां की आराजी खसरा नं. 2 रकबा 1.54 हेक्टर, खसरा नं. 278 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 285 रकबा 0.96 हेक्टर जुमला 3 किता कुल रकबा 2.55 हेक्टर भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाने में त्रुटि की है कि अप्रार्थी अपीलांट ताफैसला वाद विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 के तथाकथित कब्जे में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें। वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी अपीलांट की माफी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चाकरी खेल भराई समस्त ग्राम पंचायत इकलेरा के खाते व कब्जे की है जिस पर वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 का कोई हक एवं अधिकार नहीं है तथा हित निहित नहीं है एवं कब्जा नहीं है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्त जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम पंचायत इकलेरा अपीलांट द्वारा प्रति वर्ष मुनाफे पर काश्त करवायी जाती है। सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रति वर्ष काश्त करवायी जाती है। कृषि वर्ष सम्वत 2079–2080 में प्रतिवादी अपीलांट ने 156000/– रूपये में कुलदीप आत्मज रमेशचन्द, जाति यादव, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील बारां, जिला बारां को मुनाफा काश्त पर दे रखी है। खरीफ में कुलदीप ने सोयाबीन की फसल बोई व काटी है तथा रवि में सरसों की फसल बो रखी है जो खेत में खड़ी हुई है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट ग्राम पंचायत इकलेरा उपरोक्त भूमि के खातेदार टेनेन्ट एवं काबिज है। खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्वत 2012 से 2015 की जमाबंदी के आधार पर वादीगण रेस्पोडेंट के दादाओं द्वारा जैली काश्त के तथाकथित इन्द्राज के आधार पर वादीगण रेस्पोडेंट का कब्जा साबित होना मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को कन्सीडर किये बिना ही, उनकी विवेचना किये बिना ही हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविध का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में हुक्म जेर अपील की पालना को स्थगित किये जाने में है। ग्राम पंचायत इकलेरा की पूर्व सरपंच सोहनी बाई थी जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। रेस्पोडेंट नं. 1 विरेन्द्र उक्त भूतपूर्व सरपंच का पति है जिसने झूठा मुकदमा किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 निरस्त फरमाया जावे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार व काबिज काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजी ग्राम पंचायत द्वारा मुनाफा काश्त करायी जाती रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तथा कब्जे के बिन्दु पर स्पष्ट फाईन्डिग पेश नहीं की है। वादग्रस्त आराजी का ग्राम पंचायत खातेदार व काबिज काश्तकार होने से रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा गलत जारी की है, जिसे निरस्त किया जावे और अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सम्वत 1981 अर्थात् सन् 1925 से हम वादग्रस्त आराजी पर जैली काश्तकार दर्ज है, जिसके कब्जे बाबत हमने राजस्व रिकॉर्ड पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पर हमारा लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1981 में ग्यारसा पुत्र नैनू, जाति चमार का नाम दर्ज था। दिनांक 08.05.1919 से ग्यारसा के नाम का दाखिल खारिज मंजूर हुआ है। उक्त खतौनी बन्दोबस्त में प्रार्थी रेस्पोडेंट के पूर्वज

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अमरलाल जैली के रूप में दर्ज है। सम्वत 2015 की जमाबंदी में इंतकाल नम्बर 52 से समस्त गांव के नाम दाखिल खारिज मंजूर हुआ। उक्त जमाबंदी में भी रेस्पोडेंट के दादा सीताराम, नन्दकिशोर का नाम जैली के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 19.06.2020 को ग्राम पंचायत को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.06.2020 को रेस्पोडेंट को अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण अस्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के दादाओं का जैली काश्त के आधार पर कब्जा साबित होने के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। प्रार्थी रेस्पोडेंट के पूर्वजों का नाम विवादित आराजी में दर्ज होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विधि सम्मत प्रकट होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 यथावत रखा जाता है। अस्थायी निषेधाज्ञा वाद बाहुल्य को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। पक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि मूल वाद का निर्णय अधिकतम 6 माह में किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा